संख्या– 83 / 2020 / 1333 / 26–3–2020–4(215) / 90 टी.सी. III

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

2– निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 15 जून 2020

विषयः **वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र–2020–21 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9–10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय–सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक–176 / स0क0 / शिक्षा–अ / 7 / 28 / 2020–21, दिनांक–04.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र– 2020–21 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9–10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय–सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2020–21 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9–10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही एवं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु वर्ष 2020–21 में विस्तृत समय सारिणी जारी की जानी है।

3– इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा वर्ष 2020–21 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी का निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है :–

पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9–10) योजनान्तर्गत मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन एवं लाक करने तथा छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु प्रस्तावित समय–सारिणी 2020–21

क0सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की निर्धारित समयावधि कक्षा 9–10 हेतु
	मास्टर डाटा के सम्बन्ध में	
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आनलाइन आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर / अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	**06 जुलाई 2020 से 30 जुलाई 2020 तक**
2	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त विद्यालयों में स्वीकृत सीटो की संख्या की प्रमाणिकता को शत–प्रतिशत ऑनलाईन सत्यापित करना।	**31 जुलाई 2020 से 28 अगस्त 2020 तक।**
	आनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में	
3	छात्र / छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना। (आनलाइन आवेदन	**24 जुलाई से 20 अगस्त**

	छात्र–छात्राओं हेतु 24 जुलाई से 12 अक्टूबर 2020 तक अनवरत जारी रहेगा।)	2020 तक
4	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	**छात्र द्वारा आनला इन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।**
5	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	**आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 26 अगस्त 2020 तक।**
6	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना। (नोटः–25 जुलाई से 31 अगस्त 2020 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्रों को ही 02 अक्टूबर 2020 को भुगतान हेतु डाटा शामिल किया जायेगा।)	**25 जुलाई से तक 31 अगस्त 2020 तक।**
7	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण विद्यालय द्वारा आनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर विद्यालयों एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	**01 सितम्बर से 17 नवम्बर 2020 तक**
8	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9–10 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	**07 सितम्बर 2020 तक**
9	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	**01 सितम्बर से 10 सितम्बर 2020 तक**
10	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	**11 सितम्बर से 25 सितम्बर 2020 तक**
11	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर नवीनीकरण(Renewal)के सही छात्रों का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	**28 सितम्बर 2020 तक**
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों को कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	**30 सितम्बर 2020 तक**
13	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/कार्यक्रम आयोजित करना	**02 अक्टूबर 2020 तक**
	कक्षा 9–10 के अवशेष नवीन (Fresh) तथा नवीनीकरण(Renewal)के छात्र–छात्राओं हेतु।	
14	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	**24 जुलाई से 12 अक्टूबर 2020 तक**
15	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्षित किया जाना।	**छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।**
16	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	**आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 19 अक्टूबर 2020 तक**
17	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मूल अभिलेखों से मिलान के उपरांत ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित	**25 जुलाई से 28 अक्टूबर 2020 तक**

	एवं अग्रसारित करना।	
18	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालय की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	**05नवम्बर 2020 तक**
19	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जानाएवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	**29 अक्टूबर से 12नवम्बर 2020 तक**
20	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, विद्यालय के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	**13नवम्बर से 25 नवम्बर 2020 तक**
21	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	**आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विलम्बतम 28 नवम्बर 2020 तक।**
22	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	**13 नवम्बर से 03 दिसम्बर 2020 तक**
23	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	**04 दिसम्बर से 10 दिसम्बर 2020 तक**
24	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	**28 दिसम्बर 2020 तक।**
25	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	**30 दिसम्बर 2020 तक**
26	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	**05 जनवरी 2021 तक**

नोटः–

1– संस्था द्वारा छात्र का आवेदन प्राप्त करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन वापस कर सकेगी तथा छात्र द्वारा ऐसे आवेदन को सही कराके पुनः 05 दिन के भीतर संस्था द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा दिनांक 26 जुलाई 2020 से 08 अक्टूबर 2020 तक ही उपलब्ध रहेगी।

2– उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरण दिवस हेतु निर्धारित तिथि 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी को प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु समारोह आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोविड–19 की स्थिति को देखते हुये विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

4– अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय–सारिणी का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020–21 में पूर्वदशम योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

<u>पृ0सं0– 83 / 2020 / 1333 (1) / 26–3–2020 तद्दिनांक:–</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–</u>

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2– प्रमुख सचिव / सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण / अल्पसंख्यक कल्याण / वित्त / नियोजन / मा0शिक्षा / उच्च शिक्षा / तकनीकी शिक्षा / व्यवसायिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

3– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

6– निदेशक, पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

7– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

8– निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

9– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 **<u>द्वारा</u>** निदेशक, समाज कल्याण।

10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।